रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2014/वैशाख 5, 1936
No. 950] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2014/VAISAKHA 5, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली 25 अप्रैल, 2014

सं. 33/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1152(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स मेहरून इंटरनेशनल, सूरत, मैसर्स साड इंटरनेशनल, सूरत और मैसर्स मुजतबा इंटरनेशनल, सूरत एवं अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई जोनल यूनिट, मुंबई द्वारा फा.सं. डीआरआई/एमजेडयू/एफ/13/2010 दिनांक 21 अक्तूबर, 2013 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निर्यात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, रायगढ़, महाराष्ट्र;

(ii) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (आयात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा;

(iii) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निर्यात), कस्टम हाऊस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई;

(iv) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, कस्टम हाऊस, निकट बालाजी टेम्पल, काण्डला; और

(v) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (पीपीजी), इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्द्वारा, अपर आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, रायगढ़, महाराष्ट्र, को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/17/2014-सीमा शुल्क IV]

आर.पी.सिंह, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2014

No. 33/ 2014-Customs (N.T.)

S.O. 1152(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs (Export), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Raigad Maharashtra to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs (Export), Office of the Commissioner of Customs (Export), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Raigad Maharashtra;

(ii) the Additional Commissioner of Customs, Office of the Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva;

(iii) the Additional Commissioner of Customs, Office of the Commissioner of Customs (Export), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai;

(iv) the Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near Balaji Temple, Kandla; and

(v) the Additional Commissioner of Customs, (PPG), Inland Container Depot, Tughlakabad, Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Mehroon International, Surat, M/s. Saad International, Surat and M/s. Mujtaba International, Surat and others issued *vide*, F.No.DRI/MZU/F/13/2010 dated the 21st October, 2013 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F.No. 437/17/2014-Cus.IV]

R.P.SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2014

सं. 34/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1153(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स जैसमिन बायोटेक्नोलाजी, जिनका कार्यालय 1-39/ए, धोलारी धानी, कोमापल्ली के पास, जिला- रांगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, हैदराबाद जोनल यूनिट, हैदराबाद द्वारा फा.सं. VIII/26/13/2010-डीआरआई-एचआरयू, दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, हैदराबाद-II आयुक्तालय, 7वीं मंजिल, केन्द्रीय शुल्क भवन, एल.बी. स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद;

(ii) अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-समुद्री), कस्टम हाऊस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्द्वारा, अपर आयुक्त सीमाशुल्क, हैदराबाद-II आयुक्तालय, 7वीं मंजिल, केन्द्रीय शुल्क भवन, एल.बी. स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/27/2014-सीमा शुल्क IV]

आर.पी.सिंह, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2014

No. 34/ 2014-Customs (N.T.)

S.O. 1153(E) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs, Hyderabad-II Commissionerate, 7th Floor, Kendriya Shulk Bhavan, L.B.Stadium Road, Basheerbagh, Hyderabad to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs, Hyderabad-II Commissionerate, 7th Floor, Kendriya Shulk Bhavan, L.B.Stadium Road, Basheerbagh, Hyderabad ;

(ii) the Additional Commissioner of Customs (Import-Sea), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Jasmine Biotechnologies, having its office at 1-39/A, Beside Dholari Dhani, Kompally, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh issued *vide,* F.No.VIII/26/13/2010-DRI-HRU, dated the 31st October, 2013 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Hyderabad Regional Unit, Hyderabad.

[F.No. 437/27/2014-Cus-IV]

R.P.SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2014

सं. 35/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1154(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स हंसराज भाटिया एंड कं., 485, बर्तन मार्केट, सदर बाजार, नई दिल्ली-06 को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, नई दिल्ली द्वारा डीआरआई फा.सं. 23/29/2013-डीजेडयू दिनांक 12 मार्च, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(ii) अपर आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), न्यू कस्टम हाऊस, बालार्ड एस्टेट, मुंबई; और

(iii) सहायक या उप आयुक्त सीमा शुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, मुलुन्द, मुंबई, महाराष्ट्र,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्द्वारा, अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/36/2014-सीमा शुल्क IV]

आर.पी.सिंह, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2014

No. 35/ 2014-Customs (N.T.)

S.O 1154 (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi;

(ii) the Additional Commissioner of Customs, Commissionerate of Customs (Imports), New Custom House, Ballard, Estate, Mumbai; and

(iii) the Assistant or Deputy Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Muland, Mumbai, Maharashtra,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Hansraj Bhatia & Co., 485, Bartan Market, Sadar Bazar, New Delhi-06 issued *vide*, DRI F.No.23/29/2013-DZU dated the 12th March, 2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, New Delhi.

[F.No. 437/36/2014-Cus.IV]

R.P. SINGH, Director (Customs)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.